



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

दिनांक : 18th सितंबर 2026 / 8/7

परिपत्र सं. 03/2026

विषय : इलायची (लाइसेंसिंग एवं विपणन) नियम, 1987 के अनुसार इलायची विक्रेता के लाइसेंस का नवीनीकरण
- ऑनलाइन प्रस्तुत करने - बाबत

इलायची (छोटी और बड़ी) के लिए डीलर लाइसेंस, समय-समय पर संशोधित इलायची (लाइसेंसिंग एवं विपणन) नियम 1987 के प्रावधानों के अनुसार, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। नियम 5(1) के अनुसार, नए/नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर 2026 से शुरू होंगे और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2026 होगी।

सरकार की सुगम व्यापार पहल के अनुरूप, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से इलायची डीलर लाइसेंस (सीडीएल) के नए जारी करने/नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। एनएसडब्ल्यूएस को <https://www.nsws.gov.in/> पर देखा जा सकता है। डीलर लाइसेंस के पंजीकरण शुल्क का विवरण स्पाइसेस बोर्ड पोर्टल पर देखा जा सकता है और इसका भुगतान एनएसडब्ल्यूएस के पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाना चाहिए।

पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले, इलायची के सभी डीलरों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि इलायची के लेन-देन से संबंधित मासिक विवरण स्पाइसेस बोर्ड पोर्टल पर अपडेट कर दिए हैं। विवरण दाखिल करने का लिंक निम्न है।

https://indianspices.org.in/Dealer_return/Dealer_login.php

आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन स्पाइसेस बोर्ड पोर्टल www.indianspices.com >> मार्केटिंग >> पंजीकरण और लाइसेंसिंग >> डीलर पर किया जा सकता है।

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे नए/नवीनीकृत सीडीएल प्राप्त करने के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल का उपयोग करें। कृपया ध्यान दें कि भौतिक आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने की विस्तृत प्रक्रिया <https://www.nsws.gov.in/faqs> के माध्यम से देखी जा सकती है।

वशिष्ठ जयराज क
निदेशक (विपणन)



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

Date : 18th September 2026 /8/7

CIRCULAR No.03/2026-27

Sub : Renewal of License as Dealer of Cardamom as per the Cardamom (Licensing & Marketing) Rules, 1987 – Online submission – reg

The Dealer License for cardamom small and large is issued by the Spices Board in accordance with the provisions of the Cardamom (Licensing & Marketing) Rules 1987 as amended from time to time. In accordance with Rule 5(1), Online submission of the application for fresh/renewal shall commence on 19th September 2026 and the last date of submission of application will be on 18th October 2026.

Spices Board has facilitated the process for issuance of fresh/renewal of Cardamom Dealer License (CDL) into National Single Window System (SWS) , in line with the Government's initiative for Ease of Doing Business. The NSWS can be accessed at <https://www.nsws.gov.in/>. The details of the registration fee for Dealer License may be verified in Spices Board portal and shall be made through the Payment Gateway of NSWS.

Before proceeding to the registration, all the Dealers of cardamom are requested to ensure that monthly returns of cardamom transactions have been updated in the Spices Board Portal. The link for filing the returns is as follows :

https://indianspices.org.in/Dealer_return/Dealer_login.php

The documents required may be verified in Spices Board Portal. www.indianspices.com >> Marketing >> Registration and Licensing >> Dealer.

All the stakeholders who wish to obtain fresh /renewal of CDL are requested to make use of NSWS portal for submission of their online applications. Please note that physical applications will no longer be accepted or entertained.

The detailed procedure for registering in NSWS portal and filing of application may be accessed through <https://www.nsws.gov.in/faqs>.

Director (Mktg)

Issued Vide File No.MKT-REGN/CDL/1/2021